



सामाजिक सुरक्षा

चिन्ता

वृद्धजनों को सहारा

सुमति कुलकर्णी



2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 104 मिलियन बुजुर्ग थे, और 2026 तक इनकी संख्या 173 मिलियन से ज्यादा होने की संभावना है। वर्ष 2000 से 2050 के बीच भारत की बुजुर्ग आबादी में 360 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इसके ठीक विपरीत इसमें सहयोग करने वालों का, जो अनुपात वर्ष 2001 में 8.4 था, वह 2011 में सिर्फ 7 रह गया था और इसके 2026 तक 5.2 रह जाने की आशंका है।

सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य उन लोगों को जीविका उपलब्ध कराना है, जो काम नहीं कर सकते और स्थायी या गंभीर कारणों की वजह से अपनी आजीविका जुटाने में सक्षम नहीं हैं। अत्यधिक विकसित देशों (एमडीसी) में राज्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान जीवन-यापन से जुड़े मानकों का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि कम विकसित देशों (एलडीसी) के सामाजिक ताने-बाने में स्थायी तौर पर चली आ रही बेरोजगारी की समस्या और अत्यधिक नुकसान का स्तर इतना दयनीय है कि वहां अत्यधिक विकसित देशों में लागू सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का जोखिम उठा पाना संभव नहीं हो पाता है।

एलडीसी में सामाजिक सुरक्षा की आर्थिक व्यवहार्यता एक महत्वपूर्ण बाधा है। यहां तक कि विकसित देश तो लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण सार्वजनिक पेंशन प्रणाली की स्थिरता से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और इसमें सहयोग करने वाले यानि कामकाजी आयु समूह की संख्या कम हो रही है। 21वीं सदी के मध्य तक इन देशों की एक-तिहाई जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर होने की संभावना है।

भारत जैसे विकासशील देशों में बुजुर्गों से जुड़े मुद्दों की प्रकृति गरीबी, बेरोजगारी, पर्याप्त अवसर न होने और बड़े स्तर पर

अनौपचारिक कार्यक्षेत्र जैसे कारकों के कारण बहुत भिन्न हैं। हालांकि हाल ही में कम विकसित देशों में बदलती जनसांख्यिकी परिदृश्य ने दयनीय बुजुर्ग जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। बुजुर्गों की संख्या अब कुल जनसंख्या के 7 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है। वह परिस्थिति जो कुछ यूरोपीय देशों (फ्रांस और स्वीडन) में आज से 100-120 वर्षों में पैदा होगी, वह भारत, चीन और कुछ एशियाई देशों में अगले 40 वर्षों में बन सकती है, क्योंकि कम विकसित देशों में मृत्युदर में तेजी से कमी आ रही है। **बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा की समस्या**

दुनिया की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा भारत में है। इसमें कुल आबादी के एक-तिहाई गरीब और बुजुर्गों की कुल संख्या का आठवां हिस्सा शामिल है। हाल तक, वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिवार और वयस्क बच्चों को एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता था। लेकिन अब बुजुर्गों की सुरक्षा से जुड़े ये पारंपरिक स्रोत बुजुर्गों की लंबी उम्र, अन्य आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली का खत्म होना, महिलाओं के कामकाजी होने की वजह से घर पर देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति की गैर मौजूदगी, बच्चों का अपनी निजी दुनिया में व्यस्त रहने जैसे कारणों के चलते अत्यधिक दबाव में आ गये हैं। यह समस्या गरीब बुजुर्गों के साथ और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि

लेखिका मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज (आईआईजीएस) के विकास अध्ययन विभाग की पूर्व कार्यालयीन निर्देशक और मुखिया रही हैं। जनसंख्या अध्ययन क्षेत्र में शोध और शिक्षण कर पांच दशकों से भी अधिक का अनुभव रखने वाली कुलकर्णी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-2 (एनएफएचएस-2) की अखिल भारतीय समन्वयक रही हैं और यूएनएफपीए, यूएनडीपी, यूनिसेफ, ओआरसी मैक्रो, यूएसए द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की सलाहकार भी रही हैं। उनके आलेख और व्याख्यान देश और विदेश की पत्र-पत्रिकाओं और सेमिनारों में प्रकाशित और प्रस्तुत हो चुके हैं। ईमेल: sumati2610@gmail.com

उनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी अत्यधिक होती हैं और वह अपनी अजीबिका के लिए कोई कार्य कर पाने में भी सक्षम नहीं होते हैं और उनके पास अक्सर अपनी कोई जमापूंजी भी नहीं होती है। वैश्वीकरण का एक अप्रत्याशित परिणाम गरीबों की उपेक्षा के रूप में सामने आया है, इसके अलावा गरीबी में वृद्धि जैसे मुद्दों ने बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले उपयुक्त लक्षित उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने इस दिशा में कुछ पहल की है लेकिन एमडीसी की तुलना में एक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा की आर्थिक व्यवहार्यता भारत जैसे एलडीसी के लिए एक बड़ी बाधा है।

बीकेपीआई सर्वे

हाल ही में, नई दिल्ली के यूएनएफपीए द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए 'भारत में बुजुर्ग जनसंख्या पर एक ज्ञानकोष का निर्माण' नामक परियोजना के एक हिस्से के तौर पर आर्थिक प्रगति संस्थान, नई दिल्ली, सामाजिक और आर्थिक बदलाव संस्थान, बंगलुरु और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (मुंबई) ने मई-सितंबर 2011 के दौरान 'बुजुर्गों की स्थिति' पर एक सर्वे किया था।

इसमें भारत के सात प्रदेशों (हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु) के 8,329 परिवारों के 9,852 बुजुर्ग शामिल थे। इन प्रदेशों में बुजुर्गों की जनसंख्या का कुल प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है।

इस सर्वे से उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए यह लेख निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने का प्रस्ताव रखता है-

- भारत में बुढ़ापे की सुरक्षा की समस्या का परिमाण
- सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के लिए प्रमुख सरकारी पहल
- भारत सरकार की दो प्रमुख पेंशन योजनाओं का जागरूकता और उपयोग
- बुजुर्गों द्वारा योजनाओं का सीमित उपयोग
- वृद्धों के लिए यूनिवर्सल पेंशन योजना की व्यवहार्यता।

भारत में समस्या का परिमाण

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 104 मिलियन बुजुर्ग थे, और 2026 तक इनकी संख्या

173 मिलियन से ज्यादा होने की संभावना है। वर्ष 2000 से 2050 के बीच भारत की बुजुर्ग आबादी में 360 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। इसके ठीक विपरीत इसमें सहयोग करने वालों का, जो अनुपात वर्ष 2001 में 8.4 था, वह 2011 में सिर्फ 7 रह गया था और इसके 2026 तक 5.2 रह जाने की आशंका है।

2050 तक 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 18.4 मिलियन तक बढ़ जाएगी। 60-64 वर्ष आयु की विधवा भारतीय महिलाओं का, जो प्रतिशत 44.5 है, वह 80 वर्ष की महिलाओं में 86.8 है। इसके विपरीत 60-64 के आयु वर्ग में दस में से एक पुरुष और 80 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों में एक तिहाई पुरुष विधुर हैं।

लगभग 45 प्रतिशत वृद्ध या तो बीपीएल परिवारों से हैं या वह हैं जो अंत्योदय कार्ड धारकों में आते हैं। एक-तिहाई बुजुर्ग ऐसे परिवारों से हैं, जिनका मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 1000 रुपये से कम है।

बीकेपीआई सर्वे में प्रतिबिम्बित बुजुर्गों का परिमाण और भेद्यता

लगभग 45 प्रतिशत वृद्ध या तो बीपीएल परिवारों से हैं या वह हैं जो अंत्योदय कार्ड धारकों में आते हैं। एक-तिहाई बुजुर्ग ऐसे परिवारों से हैं, जिनका मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 1000 रुपये से कम है। कुल बुजुर्ग आबादी का दो-पांचवां हिस्सा है जिसका निजी आय का कोई स्रोत नहीं है। आधे से ज्यादा बुजुर्ग ऐसे हैं, जो आर्थिक रूप से पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। अंत में, एक-चौथाई बुजुर्गों को आर्थिक सहायता की सख्त दरकार है, क्योंकि उनके पास सुरक्षा का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

कोई भी सटीकता के साथ कह सकता है कि लगभग 40 से 50 प्रतिशत बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं (यह अनुमान बीपीएल या पूरी तरह से आर्थिक रूप से निर्भर मानदंडों के प्रतिशत को लागू करने पर है) और लगभग 25 प्रतिशत के लिए, समस्या अधिक गंभीर है (क्योंकि इनके पास सबसे कम पैसा है और कोई संपत्ति नहीं है या किसी भी तरह का

आर्थिक समर्थन नहीं है)।

बुजुर्ग महिलाएं पुरुषों की तुलना में खासकर विधवा बुजुर्ग महिलाएं आर्थिक रूप से और भी बुरी स्थिति में हैं। इसके लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं-

(1) कोई आय का स्रोत न होना (पुरुष 26 प्रतिशत, महिलाएं 59 प्रतिशत),

(2) कोई संपत्ति नहीं (पुरुष 11 प्रतिशत, महिलाएं 34 प्रतिशत, विधवा 28 प्रतिशत, विधुर 14 प्रतिशत),

(3) आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर (पुरुष 33 प्रतिशत, महिलाएं 66 प्रतिशत)।

सौभाग्य से 70 प्रतिशत बुजुर्ग आबादी अपने व्यस्क बच्चों के साथ रहती है और सिर्फ 6 प्रतिशत ऐसे हैं, जो अकेले रहते हैं, लेकिन गरीब बुजुर्ग आबादी का एक तिहाई या तो अकेले रहता है या फिर अपने जीवनसाथी के साथ, लेकिन उन्हें सामाजिक सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रत्येक पांच बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं में से एक का मानना है कि राज्य को बुजुर्ग आयु वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षा और सहयोग का प्रावधान करना चाहिए।

सरकारी पहल

केंद्र और राज्य सरकारें बुजुर्गों को नकद सुरक्षा प्रदान कर रही हैं जैसे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुजुर्ग आय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और खाद्य सुरक्षा के तौर पर वस्तु और सेवाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा छूट, सुविधाएं और सेवाएं। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही हैं। केरल में मजदूर कल्याण बोर्ड के लिए पेंशन योजना, तमिलनाडु पेंशन योजना, पश्चिम बंगाल में वृद्धश्री और सांझाबाती योजना, ओडिशा में मधुबाबु पेंशन योजना, महाराष्ट्र में श्रावणबल और संजय गांधी महिला पेंशन योजना, पंजाब में अट्टा दाल योजना इत्यादि। कई पेंशन योजनाओं को अब आईजीएनओएपीएस या आईजीएनडब्ल्यूपीएस के साथ मिला दिया गया है।

आईजीएनओएपीएस

आईजीएनओएपीएस को जीएनओपीएएस के तौर पर 1995 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जिसके केंद्र में थे निराश्रित बुजुर्ग लोग। 2007 में इसका नाम बदलकर

आईजीएनओएपीएस कर दिया गया। अप्रैल 2011 में, 60-79 आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 200 रुपये प्रति महीना और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 500 रुपये प्रति महीना कर दिया गया।

इसके लिए पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वितरित किया जाता है और इसमें 65 वर्ष की आयु (अब 60) से अधिक की बीपीएल आबादी के 50 प्रतिशत बुजुर्ग शामिल हैं। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।

राज्यों के लिए संख्या की अंतिम सीमा और वित्तीय पात्रता अर्हता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सूत्र तैयार किये गये हैं:

संख्यात्मक अंतिम सीमा = 65 वर्ष और इससे अधिक उम्र की जनसंख्या का आधा राज्य का गरीबी अनुपात।

2008 तक लगभग 6.5 मिलियन बुजुर्ग इस योजना से लाभ ले चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2011 की नई राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत आईजीएनओएपीएस पेंशन राशि को प्रति महीना 1000 रुपये से बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

आईजीएनडब्ल्यूपीएस

2009 में शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आईजीएनडब्ल्यूपीएस 40-64 आयु वर्ग की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 200 रुपये प्रति माह की पेंशन देती है। 60 की उम्र के बाद वह आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पेंशन पाने की हकदार हो जाती है।

आईजीएनओएपीएस और आईजीएनडब्ल्यूपीएस के बारे में जागरूकता और इनकी उपयोगिता

हालांकि, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये योजना लक्षित जरूरतमंद बुजुर्गों तक पहुंचती हैं। बीकेपीआई के मुताबिक आईजीएनओएपीएस और आईजीएनडब्ल्यूपीएस के बारे में सर्वे में शामिल बुजुर्गों में जागरूकता क्रमशः 79 प्रतिशत और 72 प्रतिशत है, लेकिन इनमें से मुश्किल से 13 प्रतिशत ही ऐसे हैं जिन्होंने आईजीएनओएपीएस के जरिये पेंशन लाभ लिया है और सिर्फ 20 प्रतिशत विधवा महिलाओं ने आईजीएनडब्ल्यूपीएस की पेंशन सुविधा का लाभ लिया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों में जागरूकता

■ वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता तथा समर्थित जीवन यापन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरू की गई।

- पात्र वरिष्ठ नागरिकों को वाकिंग स्टीक, कोहनी सहायक, वाकर/क्रच, ट्रायपॉड/क्वापॉड, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम दंत व चश्मे प्रदान किये जाते हैं।
- 484 करोड़ रुपये की यह योजना अगले तीन वर्षों में 260 जिलों में 5.56 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा।



484 करोड़ की इस योजना से 5.56 लाख गरीबी रेखा वाले वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित।

पुरुषों में 81 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं में यह 71 प्रतिशत है, लेकिन मुश्किल से 22 प्रतिशत बुजुर्ग पुरुष ही ऐसे हैं, जिन्होंने इसका लाभ लिया है। यह प्रतिशत महिलाओं में मुश्किल से 15 प्रतिशत ही है। आईजीएनडब्ल्यूपीएस के बारे में 70 प्रतिशत बीपीएल बुजुर्ग विधवा महिलाएं जानती हैं, लेकिन 20 प्रतिशत ने ही इसका लाभ लिया है। सात राज्यों में यह स्थिति अलग-अलग है, लेकिन आईजीएनओएपीएस की उपयोगिता पंजाब, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है, जबकि आईजीएनडब्ल्यूपीएस की स्थिति ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में अच्छी है।

कारण और उपयोगिता

विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन के संदर्भ में बीकेपीआई सर्वे में एकत्र किए गए गुणात्मक आंकड़े और इसके अतिरिक्त किए गए कुछ अन्य छोटे सर्वे निम्नलिखित कारण सामने लाते हैं-

- अशिक्षित गरीब बुजुर्गों द्वारा अपनी पात्रता स्थिति को साबित करने के लिए पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, पंचायत सदस्यों द्वारा लिखित सिफारिश पत्र इत्यादि उपलब्ध कराने में मुश्किल सामने आना। इसकी वजह से रिश्वत, बिचौलिए, भ्रष्टाचार और जाति आधारित पक्षपात की स्थिति पैदा होती है।
- बीपीएल सूची की सटीकता, धोखाधड़ी और नकली मामलों के संबंध में समस्याएं

- पेंशन मिलने के इंतजार में लगने वाला लंबा समय
- अपर्याप्त पेंशन राशि
- योग्य लाभार्थियों की पहचान करने में असफल होने के कारण राज्यों को आवंटित धनराशि का उपयोग न हो पाना
- इन सीमाओं के बावजूद कुछ शोधकर्ताओं ने पेंशन योजनाओं के काम और प्रभाव के बारे में आशा व्यक्त की है। ओडिशा और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने योग्य लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए बेहतर जांच तंत्र विकसित किया है।

एक अनुमान के अनुसार भारत में 6 मिलियन से ज्यादा बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हैं और लगभग तीन मिलियन विधवा पेंशन का लाभ उठा रही हैं। एनसीईआर दिल्ली और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक सर्वे के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के दायरे में सात प्रतिशत से ज्यादा लोग हैं, यानि 5 मिलियन लोग इसका लाभ ले रहे हैं।

यूनिवर्सल पेंशन योजना की मांग

इन समस्याओं से निपटने के लिए पेंशन परिषद् ने 55 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और 50 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए 2000 रुपये प्रति माह की पेंशन या फिर न्यूनतम मजदूरी का 50 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, की मांग रखी है।

सभी बुजुर्ग जिनकी आय आयकर भुगतान की सीमा से अधिक है और जिन्हें

अन्य स्रोतों से उपयुक्त प्रस्तावित राशि से ज्यादा पेंशन प्राप्त हो रही है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

साधारण गणना से पता चलता है कि सभी बुजुर्गों यानि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों को प्रति माह 2000 रुपये भुगतान करने का कुल खर्च लगभग 24,929 करोड़ रुपये होगा। वर्तमान पेंशन योजनाओं के व्यय को बचाने से इसका वास्तविक खर्च कम होगा। यह ध्यान देने की जरूरत है कि लाभार्थियों की संख्या और पेंशन की राशि बढ़ाने से सरकारी संसाधनों पर दबाव और बोझ बढ़ेगा और इसका नतीजा कर वृद्धि के रूप में सामने आ सकता है या फिर महंगाई बढ़ सकती है, जिसका बुजुर्गों पर भी बुरा प्रभाव होगा। इसलिए, उपयुक्त बहिष्करण मानदंड का चुनाव महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित सार्वभौमिक पेंशन योजना में आयकरदाताओं को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश बुजुर्गों के मामले में इस तरह के मानदंड तय करना बहुत मुश्किल है।

हालांकि आय सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन यह स्वास्थ्य, सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी प्रत्यक्ष सेवाओं का विकल्प नहीं हो सकती, जो गरीबों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं।

सरकार द्वारा हाल में उठाए गये कदम

वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन ज्योति योजना, पीएम जन सुरक्षा बीमा योजना की उन योजनाओं से कोई तुलना नहीं है, जिन पर पहले चर्चा की जा चुकी है, क्योंकि ये

वे योजनाएं नहीं हैं, जिन्हें खासतौर पर बुजुर्गों के लिए बनाया गया है। हालांकि निश्चित रूप से भविष्य की बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा के लिए ये जरूरी हैं।

एपीवाई, एक पेंशन योजना है। यह असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को मासिक एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये की पेंशन सुनिश्चित करती है। सरकार इसमें लाभार्थी के सहयोग का 50 प्रतिशत देती है। सिर्फ गैर-आयकर दाता, जो किसी अन्य पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। सरकार पांच वर्ष के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए सहयोग करेगी, जो इसमें एक जून से 31 दिसंबर, 2015 तक शामिल हुए हैं।

जन सुरक्षा बीमा योजना को 2015 में शुरू किया गया था। यह सरकारी योजना है, जो दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराती है। 18-70 आयु वर्ग के लोग, जिनका बैंक खाता है, इससे जुड़ सकते हैं। उन्हें सिर्फ वार्षिक 12 रुपये प्रीमियम देने की जरूरत है। यह स्वतः ही उनके खाते से चला जाता है या फिर नकद भी दिया जा सकता है। ऐसी दुर्घटनाएं, जिनमें मौत हो जाती है या व्यक्ति पूरी तरह अक्षम हो जाता है दो लाख रुपये दिए जाने की व्यवस्था है, जबकि ऐसी दुर्घटना, जिसमें कम क्षति हो, उसमें एक लाख रुपये दिए जाते हैं। यह योजना 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ी है।

जन धन योजना बैंक खाता धारकों के लिए विभिन्न आर्थिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है। इस योजना के अंतर्गत खाते जीरो बैलेंस पर भी खोले जा

सकते हैं। इस खाते को खोलने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यह योजना दुर्घटना बीमा एक लाख रुपये और जीवन बीमा 30,000 रुपये तक देती है, जो कि खाताधारक की मृत्यु के बाद देय होता है। फरवरी 2017 तक 27 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और 665 बिलियन जमा किया जा चुका है। इस योजना की आलोचना भी की गई है, क्योंकि इसमें कई नकली खाते खुले हैं। इससे सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े बैंकों पर भी अत्यधिक दबाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में शुरू की गयी थी। यह जीवन बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराती है, इसमें पॉलिसी धारक की मौत के बाद उसके परिवार को दो लाख रुपये की राशि मिलती है। 18-50 आयु वर्ग के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें हर वर्ष 31 मई से पहले 330 रुपये का प्रीमियम दिया जाता है। इन योजनाओं के प्रभाव का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना इस समय जल्दबाजी होगी।

दूसरों की तरह ही अन्य बुजुर्ग भी इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक मुद्दा गरीबों, पूरी तरह से निर्भर, कमजोर बुजुर्गों की सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित है, जिनकी कोई आय या संपत्ति नहीं है। इसमें सही मानदंडों के जरिये जरूरतमंदों की पहचान करना, आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण, कुशल वितरण प्रणाली प्रमुख चुनौतियां हैं। अंततः यह ध्यान दिलाए जाने की जरूरत है कि किसी भी योजना में, जहां पैसा शामिल है, यदि वहां सही जांच तंत्र न हो तो भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी भी शामिल हो जाती है। □

स्किल फॉर लाइफ: सेव ए लाइफ

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए *स्किल फॉर लाइफ, सेव ए लाइफ* पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस पहल के तहत पेशेवरों के साथ ही आम जनता में स्वास्थ्य क्षेत्र में विशिष्ट दक्षताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना है। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू) और एम्स, दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है।

भारत में प्रति दिन सड़कों पर 1,324 दुर्घटनाएं होती हैं और हर

4 मिनट में एक जीवन समाप्त हो जाता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की शुरू के 10 मिनट में सहायता देने का उपाय हो तो उसकी जान बचाई जा सकती है। *स्किल फॉर लाइफ, सेव ए लाइफ* कार्यक्रम के तहत पेशेवरों के साथ ही आम जनता के लिए देश भर के सभी जिलों में स्थित केंद्रीय और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों में पहला उत्तरदायित्व पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को किसी आपात स्थिति में प्राथमिक और शुरुआती देखभाल करने के योग्य बनाना है। इस अभिनव प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित और कुशल कर्मी आपात स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण घड़ी में किसी का जीवन बचाने में समर्थ होंगे। □